राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

डी.बी. विशेष आवेदन रिट संख्या 438/2024

अभिषेक अग्रवाल पुत्र श्री सुरेश अग्रवाल, उम्र लगभग 26 वर्ष, वार्ड संख्या 14 बीकानेर रोड के पीछे दैनिक भास्कर कार्यालय, श्री गंगानगर के निवासी। ----अपीलकर्ता

बनाम

1. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), अपने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत भवन, 4 एवं 6 करिंभॉय रोड, बैलार्ड एस्टेट, मुंबई-400 001 के माध्यम से।
2. वरिष्ठ प्रबंधक (एलपीजी), बिक्री, एफवीसी सदस्य, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्रादेशिक कार्यालय एवं बॉटलिंग प्लांट, विशेष 308, रीको, आईजीसी, खारा, बीकानेर-334 006, राजस्थान ----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए : श्री मनोज भंडारी वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री अनिकेत तातेर

प्रतिवादी(ओं) के लिए : सुश्री अभिलाषा बोरा

माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर

माननीय न्यायमूर्ति श्री कुलदीप माथुर

आदेश

16/07/2024

न्यायालय द्वारा (माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर के अनुसार):-

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2932/2024 में पारित दिनांक 22 मार्च 2024 के आदेश से व्यथित होकर, रिट याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 134 के तहत यह विशेष अपील दायर की है।

2. रिट कोर्ट के समक्ष, अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 28 दिसंबर 2023 के नोटिस को चुनौती दी गई थी, जिसमें अपीलकर्ता को 24 मई 2023 को या उससे पहले पंजीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी प्रदान करने की आवश्यकता थी और दिनांक 06 फरवरी 2024 के आदेश के द्वारा अपीलकर्ता को सूचित किया गया था कि कट-ऑफ तिथि के बाद पंजीकृत लीज डीड, यानी 24 मई 2023 के बाद एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार वैध नहीं थी। उन्होंने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (संक्षेप में, 'बीपीसीएल') को

एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए उनके आवेदन को स्वीकार करने और उनके पक्ष में आशय पत्र (संक्षेप में, 'एलओआई') जारी करने का निर्देश देने के लिए भी प्रार्थना की। प्रतिवादी-बीपीसीएल ने यह रुख अपनाया कि 'एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के लिए मैनुअल' के अनुसार भूमि दस्तावेज को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को या उससे पहले पंजीकृत किया जाना आवश्यक था। बीपीसीएल द्वारा यह भी आपत्ति उठाई गई कि पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17(1)(बी) के तहत पावर ऑफ अटॉर्नी को अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना आवश्यक था और इसलिए, लीज डीड जो विस्तारित अंतिम तिथि से पहले पंजीकृत नहीं हुई थी, यानी 24 मई 2023 को या उससे पहले स्वीकार नहीं की जा सकती थी।

3. रिट कोर्ट ने पावर ऑफ अटॉर्नी के अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता के संबंध में बीपीसीएल द्वारा उठाई गई आपत्ति को स्वीकार नहीं किया और 28 दिसंबर 2023 के आदेश के उस हिस्से को रद्द कर दिया। हालांकि, रिट कोर्ट अपीलकर्ता से सहमत नहीं था कि 23 मार्च 2023 को निष्पादित किया गया लीज डीड उसी तारीख से प्रभावी होगा, भले ही इसका पंजीकरण बाद की तारीख यानी 27 मई 2023 को हो। रिट कोर्ट ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

> "9. याचिकाकर्ता द्वारा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए भरे गए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की नियुक्ति के लिए आवेदन (अनुलग्नक-2) के खंड 4 से भी यह देखा गया है, जिसमें विज्ञापन की तिथि से लेकर आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक पंजीकृत लीज डीड होने की शर्त के संबंध में 'एलपीजी वितरकों के चयन के लिए मैनुअल' के खंड 31 को दोहराया गया है और याचिकाकर्ता ने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की नियुक्ति के लिए उक्त आवेदन खुली आंखों से भरा था और वह अच्छी तरह से जानता था कि वह आवेदन में निर्धारित

पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा था। याचिकाकर्ता ने यह जानते हुए भी कि वह मैनुअल के खंड 31 और आवेदन के खंड 4 के प्रकाश में पात्रता नहीं रखता है, प्रक्रिया में भाग लिया। याचिकाकर्ता ने 'एलपीजी वितरकों के चयन के लिए मैनुअल' के खंड 31 और 'एलपीजी वितरकों की नियुक्ति के लिए आवेदन' के खंड 4 में उल्लिखित दोनों शर्तों को भी चुनौती नहीं दी है। आवेदन पत्र का खंड 4 नीचे पुनः प्रस्तुत है:-

> "आवेदक/परिवार इकाई के सदस्य के नाम पर एलपीजी गोदाम के निर्माण के लिए भूमि के निम्नलिखित विवरण प्रदान करें, जो विज्ञापन की तिथि से लेकर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 15 वर्षों (झारखंड में सीएनटी अधिनियम के तहत आने वाले स्थानों के लिए 4 वर्ष 11 महीने) के लिए पंजीकृत पट्टे पर हो और विज्ञापन में या शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता हो।"

20. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, याचिकाकर्ता द्वारा गोदाम के लिए प्रस्तुत लीज-डीड 30.05.2023 को पंजीकृत की गई है, अर्थात आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 24.05.2023 के काफी बाद और शोरूम के लिए लीज डीड 27.05.2023 को पंजीकृत की गई, जो कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद की है, इस प्रकार, प्रतिवादियों का यह निर्णय कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित भूमि 'एलपीजी वितरकों के चयन के लिए मैनुअल' के अनुसार विज्ञापन/ब्रोशर में निर्धारित पात्रता शर्तों/आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है,

इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। 21. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, वरिष्ठ प्रबंधक, (एलपीजी) बिक्री, एफवीसी सदस्य द्वारा पारित दिनांक 06.02.2024 (अनुलग्नक 9) का विवादित आदेश, जिसमें याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि शोरूम और गोदाम के लिए लीज डीड आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बाद पंजीकृत की गई थी, इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है।"

4. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनोज भंडारी ने विधि में यह मुद्दा उठाया है कि किसी दस्तावेज के निष्पादन की तिथि प्रासंगिक होती है, न कि उक्त दस्तावेज के पंजीकरण की तिथि। पंजीकरण अधिनियम की धारा 47 का हवाला देते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 27 मई 2023 को पंजीकृत किया गया पट्टा विलेख 23 मई 2023 से संबंधित होगा, जब स्टाम्प पेपर खरीदा गया था और पट्टा विलेख पर पक्षों द्वारा अपने हस्ताक्षर करके पट्टा विलेख निष्पादित किया गया था। दूसरी ओर, बीपीसीएल की ओर से उपस्थित विद्वान वकील सुश्री अभिलाषा बोरा ने अपीलकर्ता को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने से इनकार करने के बीपीसीएल के फैसले का समर्थन करने के लिए 2019 एससीसी ऑनलाइन कैल 721 में रिपोर्ट किए गए "हिजबुल फिदा कादिर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया" और "समीउल कलाम बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य" (डब्ल्यूपीए संख्या 18525 ऑफ 2021) में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसलों का हवाला दिया।

5. तथ्यों पर कोई विवाद नहीं लगता है और बार में यह स्वीकार किया जाता है कि बीकानेर में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तावित विषय भूमि के संबंध में लीज डीड 27 मई 2023

को पंजीकृत की गई थी और किराया-डीड 30 मई 2023 को पंजीकृत की गई थी; 24 मई 2023 की कट-ऑफ तिथि के बाद। अपीलकर्ता द्वारा भूमि दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद, उसे श्रीमती कविता गोयल और नीलम बंसल द्वारा निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की पंजीकृत प्रति और श्रीमती नीलम नागपाल द्वारा निष्पादित 10 जनवरी 2011 की पावर ऑफ अटॉर्नी की पंजीकृत प्रति 7 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। रिट कोर्ट ने पावर ऑफ अटॉर्नी की पंजीकृत प्रति प्रस्तुत करने की उपरोक्त आवश्यकता में हस्तक्षेप किया, लेकिन बीपीसीएल द्वारा उठाई गई आपत्ति रिट कोर्ट के समक्ष बरकरार रही कि लीज डीड/रेंट डीड कट-ऑफ तिथि के बाद पंजीकृत की गई थी।

6. पंजीकरण अधिनियम दस्तावेजों के पंजीकरण से संबंधित अधिनियमों को समेकित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। पंजीकरण अधिनियम की धारा 32 के तहत, कोई व्यक्ति जो दस्तावेज़ निष्पादित करता है या उसके तहत दावा करता है, या डिक्री या आदेश की प्रति के मामले में, डिक्री या आदेश के तहत दावा करता है, वह दस्तावेज़ को उचित पंजीकरण कार्यालय में पंजीकरण के लिए प्रस्तुत कर सकता है। यह भी प्रावधान है कि दस्तावेज़ ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिधि या समनुदेशिती द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्रतिनिधि या समनुदेशिती के एजेंट द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, जो अधिनियम के तहत दिए गए तरीके से निष्पादित और प्रमाणित पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा विधिवत अधिकृत है। एक सीमित सीमा तक को छोड़कर, जहां पंजीकरण अधिकारी धारा 34 के तहत जांच कर सकता है, विधिवत निष्पादित और उचित रूप से मुहर लगी दस्तावेज़ पंजीकृत होगी और उसके पक्षों के बीच संचालित होगी। धारा 47 का प्रभाव समान प्रकृति का होगा और इसका बाध्यकारी प्रभाव होगा, लेकिन केवल पक्षों के बीच। बहुत पहले, "यू. ऑन माउंग वी. माउंग शॉ हपांग" एआईआर 1937 रंग 446 में, विद्वान मुख्य

न्यायाधीश ने देखा कि दस्तावेज़ के पंजीकरण की आवश्यकता एक साक्ष्य आवश्यकता है; अपंजीकृत हस्तांतरण अपूर्ण होता है और पंजीकृत होने तक अप्रभावी होता है, लेकिन फिर भी यह मौजूद रहता है और पंजीकृत होने पर इसके निष्पादन की तिथि से लागू होता है। "गुरबक्स सिंह बनाम करतार सिंह एवं अन्य" (2002) 2 एससीसी 611 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक दस्तावेज उस समय से प्रभावी होगा जब इसे निष्पादित किया गया था, न कि इसके पंजीकरण के समय से और, इसलिए, एक दस्तावेज जो समय से पहले निष्पादित किया गया था, बाद में निष्पादित अन्य दस्तावेज पर प्रबल होगा। इस संदर्भ में, हम "के.जे.नाथन एस.वी. मारुति राव एवं अन्य" एआईआर 1965 एससीसी 430 का भी उल्लेख कर सकते हैं, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंजीकरण अधिनियम की धारा 47 के तहत प्रावधान को एक व्यक्ति द्वारा एक ही संपत्ति के संबंध में दो दस्तावेजों को निष्पादित करने के उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही संपत्ति के संबंध में दो पंजीकृत दस्तावेज अलग-अलग समय पर दो अलग-अलग व्यक्तियों को निष्पादित किए जाते हैं, तो जो दस्तावेज पहले निष्पादित किया गया था, उसे दूसरे पर प्राथमिकता दी जाती है, भले ही पहला दस्तावेज बाद में पंजीकृत किया गया हो।

7. भारतीय पंजीकरण अधिनियम और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के तहत प्रावधान स्पष्ट रूप से संकेत देते हैं कि जब तक लीज डीड अपंजीकृत रहती है, तब तक यह वैध नहीं हो सकती है, लेकिन जैसे ही यह पंजीकृत हो जाती है, यह इसके निष्पादन की तारीख से प्रभावी हो जाती है। यह एक स्थापित कानून है कि पंजीकरण अधिनियम की धारा 47 डीड के पक्षों के बीच संचालित होती है और तीसरे पक्ष के अधिकारों को भी प्रभावित कर सकती है। हालांकि, पंजीकरण अधिनियम की धारा 47 के प्रभाव को 24 मई

2023 को या उससे पहले पंजीकृत लीज डीड/रेंट डीड जमा करने की आवश्यकता को खत्म करने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। “हर नारायण (मृत) एलआरएस बनाम माम चंद (मृत) एलआरएस और अन्य” (2010) 13 एससीसी 128 में, जिस पर अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मनोज भंडारी ने बहुत भरोसा किया, अपीलकर्ता को कोई मदद भी नहीं दी। उक्त मामले में, बिक्री 02 अगस्त 1971 को हुई थी और दस्तावेज़ 03 सितंबर 1971 को पंजीकृत किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यद्यपि पंजीकरण का प्रभाव यह होगा कि पंजीकरण निष्पादन की तारीख से संबंधित होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि बिक्री 03 सितंबर 1971 से पहले पूरी हो गई थी।

8. 'एलपीजी वितरकों के चयन के लिए मैनुअल' में, अभिव्यक्ति "स्वामित्व" को संपत्ति पर स्वामित्व शीर्षक होने के रूप में परिभाषित किया गया है। वैकल्पिक रूप से, यह प्रावधान किया गया है कि विज्ञापन की तारीख से किसी भी तारीख को शुरू होने वाली कम से कम 15 साल की वैध लीज अवधि वाला पंजीकृत लीज डीड विज्ञापन या शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) में निर्दिष्ट आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध दस्तावेज होगा। बीपीसीएल ने यह रुख अपनाया है कि अपीलकर्ता जिसने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए नियम और शर्तों से खुद को परिचित करने के बाद अपना आवेदन प्रस्तुत किया है, वह यह दलील नहीं दे सकता कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक पंजीकृत लीज डीड के संबंध में ‘एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चयन के लिए मैनुअल’ के खंड 31 का पालन नहीं किया जाना चाहिए। इसे स्पष्ट रूप से कहें तो बीपीसीएल ने दलील दी कि अपीलकर्ता को पात्रता मानदंडों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और वह कानून में दलील देकर इस स्थिति से बाहर नहीं निकल

सकता। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र के खंड 4 में निम्नलिखित प्रावधान है:

> "एलपीजी गोदाम के निर्माण के लिए भूमि के भूखंडों का विवरण प्रदान करें या निर्मित एलपीजी गोदाम का स्वामित्व या पंजीकृत पट्टा आवेदक/परिवार इकाई के सदस्य के नाम पर विज्ञापन की तिथि से किसी भी तिथि से लेकर विज्ञापन में या शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) में निर्दिष्ट आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक न्यूनतम 15 वर्ष (झारखंड में सीएनटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले स्थानों के लिए 4 वर्ष 11 महीने) के लिए हो तथा निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करता हो। नोट: 1. विज्ञापन की तिथि से पहले किसी भी तिथि से शुरू होने वाले पंजीकृत पट्टा विलेख वाले आवेदन पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते पट्टा विज्ञापन की तिथि से न्यूनतम 15 वर्ष (झारखंड में सीएनटी अधिनियम के अंतर्गत आने वाले स्थानों के लिए 4 वर्ष 11 महीने) की अवधि के लिए वैध हो। प्रस्तावित भूमि का सत्यापन फील्ड सत्यापन के दौरान किया जाएगा। दुर्गम क्षेत्रीय वितरक के मामले में, गोदाम भूमि का स्थान विज्ञापित स्थान के अनुसार गांव/गांव के समूह की सीमा के भीतर होना चाहिए। 2. यदि भूमि परिवार इकाई के सदस्य की है, तो आवेदक के पास परिशिष्ट-2./2(ए) के अनुसार परिवार के सदस्य द्वारा घोषणा होनी चाहिए।

9. वर्तमान मामले जैसे मामले में, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आवंटन के लिए केवल एक आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदक को कोई निहित अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यह वास्तव में सार्वजनिक हित में है कि नियोक्ता; इस मामले में, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 23 मार्च 2023 के विज्ञापन

के तहत विभिन्न शर्तों का पालन करता है। "विटराली वी. सैटन" [359 यूएस 535: लॉ एड (दूसरी श्रृंखला) 1012] में, न्यायमूर्ति फ्रैंकफर्टर ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "कार्यकारी एजेंसी को उन मानकों का कड़ाई से पालन करना चाहिए जिनके आधार पर वह अपने कार्यों का मूल्यांकन करती है .... तदनुसार, यदि रोजगार से बर्खास्तगी एक परिभाषित प्रक्रिया पर आधारित है, भले ही ऐसी एजेंसी को बाध्य करने वाली आवश्यकताओं से परे उदार हो, उस प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए .... प्रशासनिक कानून का यह न्यायिक रूप से विकसित नियम अब दृढ़ता से स्थापित है और, अगर मैं जोड़ सकता हूं, तो यह सही है। जो कोई भी प्रक्रियात्मक तलवार उठाता है, वह तलवार से ही नष्ट हो जाएगा।"

10. हम "रमना दयाराम शेट्टी बनाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण" (1979) 3 एससीसी 489 का भी उपयोगी रूप से उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक कार्यकारी प्राधिकरण को उन मानकों का कड़ाई से पालन करना चाहिए जिनके द्वारा वह अपने कार्यों का न्याय करता है और उसे उन मानकों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए, भले ही उनका उल्लंघन करने वाले कार्य को अमान्य कर दिया जाए। बीपीसीएल द्वारा "एलपीजी वितरक के चयन के लिए मैनुअल" में दिशानिर्देशों और 23 मार्च 2023 के विज्ञापन के तहत शर्तों का पालन करना गलत नहीं हो सकता। यह वास्तव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले रिट कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा कि वह बीपीसीएल को मैनुअल और विज्ञापन के तहत दिशानिर्देशों और शर्तों का पालन न करने का निर्देश जारी करे। "नजीर अहमद बनाम। राजा सम्राट"

एआईआर 1936 पीसी 253 (2) में प्रिवी काउंसिल ने टिप्पणी की कि जहां किसी निश्चित कार्य को किसी निश्चित तरीके से करने की शक्ति दी जाती है, वहां कार्य को उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। आगे यह माना गया कि निष्पादन के अन्य तरीके अनिवार्य रूप से निषिद्ध हैं। हमें इस लाभकारी सिद्धांत को छोड़ने या वर्तमान मामले के तथ्यों में इसे लागू न करने का कोई वैध कारण नहीं दिखता। रिट कोर्ट ने सही माना कि 27 मई 2023 को पंजीकृत लीज डीड पर विज्ञापन के तहत स्पष्ट शर्त के संदर्भ में विचार नहीं किया जा सकता था, जिसमें आवेदन जमा करने की समय सीमा प्रदान की गई थी। हम यह भी संकेत दे सकते हैं कि केवल एक तर्कपूर्ण बिंदु को उठाना रिट कोर्ट के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का आधार नहीं है।

11. रिट कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों और मामले में उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम रिट कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं और, तदनुसार, विशेष अपील रिट संख्या 438/2024 खारिज की जाती है।

(कुलदीप माथुर), जे. (श्री चंद्रशेखर), जे.

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।